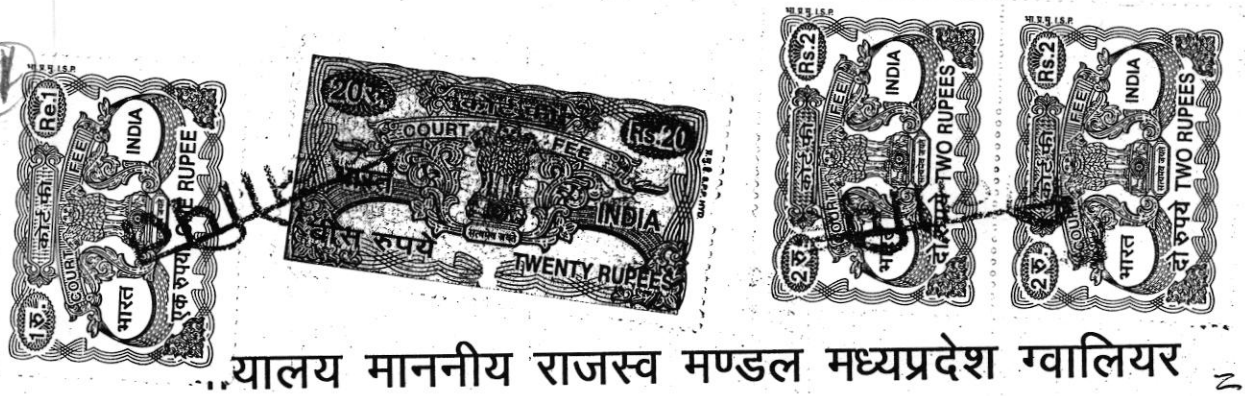

..यालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक ——————/2018 पुनरीक्षण याचिका

धीरज अरोरा पुत्र श्री सुरेश अरोरा आयु 37 वर्ष, व्यवसाय व्यापार निवासी एस डी ओ बंगले की पीछे काला बाग गंज बासौदा जिला विदिशा मध्यप्रदेश

—<u>प्रार्थी/ आवेदक</u>

बनाम

अनिल सारास्वत पुत्र श्री हरीशंकर सारास्वत, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय व्यापार निवासी वार्ड नं. 7 गंज बासौदा जिला विदिशा मध्यप्रदेश

—<u>अनावेदकगण</u>

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.03.2018 पारित द्वारा न्यायालय अनु– विभागीय — अधिकारी बासौदा के प्रकरण कमांक 16/अपील/2017–18 बउनमान अनिल सारास्वत वि0 धीरज अरोरा ग्राम बेहलोट तहसील बासौदा जिला विदिशा में पारित किया गया के विरूद्ध प्रस्तुत हे।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदक ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया कि, आवेदक जरिये विकयपत्र दिनांक 27.8.2011 ग्राम बेहलोट स्थित भूमि आराजी नं. 34/1/2/2 रकबा 25 गुणित 40 वर्ग्रफुट भूमि प्लाट का भूमि स्वामी है तथा उक्त प्लाट पर नीवं भरवाई गयी है तथा दीवाले निर्मित है। आवेदक को यह ज्ञात हुआ है कि, अनावेदक द्वारा आराजी नं. 34/1/2/2 में एक प्लाट 1000 वर्गफीट का श्रीउदयभान पुत्र श्री बलवन्तसिंह तोमर निवासी हनुमान चौक बासौदा से कय कर लिया है तथा उक्त प्लाट की चर्तुसीमा गलत दर्शित करते

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/भिंड/भू.रा./2018/1786

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एच.के. अग्रवाल उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी के कथन हेतु आहुत करने का आवेदक का आवेदन अमान्य करने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की गई है, आवेदक द्वारा तर्कों के दौरान ऐसा कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप अनिवार्य हो। प्रकरण का निराकरण अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	